पत्र संख्या– 1/प्रा0आ0–0–3–12/2017.....56 (रा०आ०)/आ0प्र0
बिहार सरकार
आपदा प्रबंधन विभाग

प्रेषक,

अनिरूद्ध कुमार भा0प्र0से0,
अपर सचिव।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी,
रोहतास/बेगूसराय/सहरसा/गया/वैशाली/सारण/बाँका/नालंदा/सीवान/शेखपुरा/कैमूर।

पटना–15, दिनांक– 1/8/17

विषय:– वर्त्तमान वित्तीय वर्ष–2017–18 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय मुख्य शीर्ष–2245–प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत, उपमुख्यशीर्ष –02–बाढ़ –चक्रवात आदि, लघु शीर्ष –101– आनुग्रहिक राहत, उपशीर्ष –0016– राज्य की स्थानीय प्रकृति की आपदाओं से राहत हेतु अनुदान विपत्र कोड–39–2245021010016 मद में कुल ₹ 368.512 लाख (तीन करोड़ अड़सठ लाख इक्यावन हजार दो सौ रूपये) मात्र आवंटन की स्वीकृति।

आदेश:– स्वीकृत ।

2. इस राशि का व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2017–18 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय मुख्य शीर्ष –2245–प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत, उपमुख्यशीर्ष –02–बाढ़ –चक्रवात आदि, लघु शीर्ष –101– आनुग्रहिक राहत, उपशीर्ष –0016– राज्य की स्थानीय प्रकृति की आपदाओं से राहत हेतु अनुदान के अन्तर्गत उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

3. वर्त्तमान आवंटित राशि की विवरणी लघुशीर्ष / उपशीर्षवार निम्न प्रकार है :
लघुशीर्ष –101– आनुग्रहिक राहत ।
उपशीर्ष –0016– राज्य की स्थानीय प्रकृति की आपदाओं से राहत हेतु अनुदान
मांग संख्या– 39 विस्तृत शीर्ष– 37–अनुग्रह अनुदान, विषय शीर्ष– 01–अनुग्रह अनुदान

क्र0	जिला का नाम	मृत व्यक्तियों की संख्या	घायल व्यक्तियों की संख्या	मृत पशुओं की संख्या	पूर्व आवंटित राशि	वर्तमान आवंटित राशि	कुल आवंटित राशि	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	रोहतास	10	1	0	96.00 (छियानवे लाख)	40.127 (चालीस लाख बारह हजार सात सौ)	136.127 (एक करोड़ छत्तीस लाख बारह हजार सात सौ)	**पानी में डूबने से, सामुहिक सड़क दुर्घटना**
2	बेगूसराय	36	0	0	116.00 (एक करोड़ सोलह लाख)	144.127 (एक करोड़ चौवालीस लाख बारह हजार सात सौ)	260.127 (दो करोड़ साठ लाख बारह हजार सात सौ)	**सामुहिक सड़क दुर्घटना, पानी में डूबने से, वज्रपात**
3	सहरसा	9	5	0	220.903 (दो करोड़ बीस लाख नब्बे हजार तीन सौ)	36.215 (छत्तीस लाख इक्कीस हजार पाँच सौ)	257.118 (दो करोड़ सनतावन लाख ग्यारह हजार आठ सौ)	**सामूहिक सड़क दुर्घटना, पानी में डूबने से, रेल दुर्घटना**
4	गया	7	0	0	72.342 (बहत्तर लाख	28.00 (अठाईस लाख)	100.342 (एक करोड़	**वज्रपात, पानी में**

					चौतीस हजार दो सौ)		चौतीस हजार दो सौ)	डूबने से, सामूहिक सड़क दुर्घटना
5	वैशाली	1	0	0	108.46 (एक करोड़ आठ लाख छियालीस हजार)	4.00 (चार लाख)	112.46 (एक करोड़ बारह लाख छियालीस हजार)	वज्रपात
6	सारण	4	0	0	48.00 (अड़तालीस लाख)	16.00 (सोलह लाख)	64.00 (चौसठ लाख)	पानी मे डूबने से
7	बाँका	5	0	0	36.00 (छत्तीस लाख)	20.00 (बीस लाख)	56.00 (छप्पन लाख)	वज्रपात, सामूहिक सड़क दुर्घटना
8	नालंदा	9	1	0	88.17 (अठासी लाख सतरह हजार)	36.043 (छत्तीस लाख चार हजार तीन सौ)	124.213 (एक करोड़ चौबीस लाख इक्कीस हजार तीन सौ)	सामूहिक सड़क दुर्घटना
9	सीवान	3	0	0	60.00 (साठ लाख)	12.00 (बारह लाख)	72.00 (बहत्तर लाख)	सामूहिक सड़क दुर्घटना, वज्रपात
10	शेखपुरा	7	0	0	36.00 (छत्तीस लाख)	28.00 (अठाईस लाख)	64.00 (चौसठ लाख)	वज्रपात, पानी में डूबने से, सामूहिक सड़क दुर्घटना
11	कैमूर	1	0	0	84.00 (चौरासी लाख)	4.00 (चार लाख)	88.00 (अठासी लाख)	वज्रपात
कुल योग		**92**	**8**	**0**	**965.875 (नौ करोड़ पैसठ लाख सतासी हजार पाँच सौ)**	**368.512 (तीन करोड़ अड़सठ लाख इक्यावन हजार दो सौ)**	**1337.387 (तेरह करोड़ सैतीस लाख अड़तीस हजार सात सौ)**	

(राशि रूपये लाख में)

4. यह आवंटन जिला पदाधिकारी, रोहतास के पत्रांक 240 दिनांक 10.07.17, 239 दिनांक 10.07.17, 238 दिनांक 10.07.17 एवं 243 दिनांक 12.07.17/बेगूसराय के पत्रांक 372 दिनांक 12.07.17 एवं 411 दिनांक 19.07.17 /सहरसा के पत्रांक 47–1 दिनांक 24.06.17, 46–1 दिनांक 24.06.17, 43–1 दिनांक 24.06.17, 48–1 दिनांक 24.06.17, 44–1 दिनांक 24.06.17, 41–1 दिनांक 24.06.17, 42–1 दिनांक 24.06.17, 19–1 दिनांक 01.06.17 एवं 233–2 दिनांक 21.07.17/गया के पत्रांक 121 दिनांक 13.07.17 /वैशाली के पत्रांक 598 दिनांक 17.07.17 /सारण के पत्रांक 685 दिनांक 20.07.17/बाँका के पत्रांक 197 दिनांक 24.

07.17 एवं 192 दिनांक 17.07.17 /नालंदा के पत्रांक 690 दिनांक 20.07.17 /सिवान के पत्रांक 474 दिनांक 24.07.17, 453 दिनांक 18.07.17 /शेखपुरा के पत्रांक 217 दिनांक 21.07.17/कैमूर के पत्रांक 328 दिनांक 07.07.17 द्वारा की गई अधियाचना के आलोक में निर्गत किया जा रहा है। **संबंधित जिला पदाधिकारियों से अनुरोध है कि वे विभागीय अधिसूचना संख्या 1418/आ0प्र0 दिनांक 17.04.15 के आलोक में स्वयं संतुष्ट हो लें कि 'राज्य की विशेष स्थानीय प्रकृति की आपदाओं की श्रेणी में ही आती है।' संतुष्ट होने के उपरान्त राज्य की विशेष स्थानीय प्रकृति की आपदाओं की श्रेणी की घटना के लिए ही राशि का भुगतान सुनिश्चित किया जाय। घायलों एवं मृत व्यक्तियों के आश्रितों को इस राशि का भुगतान कर विभाग को इसकी सूचना अविलम्ब दी जाय।**

5 आवंटित राशि का व्यय उसी मद में किया जाय जिस मद के लिए राशि का आवंटन किया गया है। किसी भी अन्य मद में इस राशि का विचलन नही किया जाय अन्यथा इसके लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी ही जिम्मेवार होंगे।

6. आपदा प्रभावित परिवारों को देय अनुदान की राशि का भुगतान करने के संबंध में विभागीय पत्रांक 1642/आ0प्र0 दिनांक 22.04.16 द्वारा निर्गत निदेश का पालन सुनिश्चित किया जाय।

7 **आवंटित की गई राशि की निकासी यथासंभव Fully Vouched Bill के माध्यम से ही की जाय। अपरिहार्य कारणवश ही राशि की अग्रिम निकासी ए0सी0 विपत्र के माध्यम से की जाय। अग्रिम तौर पर निकासी के बाद व्यय की गई राशि का डी0सी0 बिल महालेखाकार कार्यालय, बिहार, पटना को बिहार वित्त नियमावली के प्रावधानों के अनुसार निर्धरित समय सीमा में भेजते हुए उसकी प्रति, व्यय प्रतिवेदन एवं भारत सरकार के विहित प्रपत्र में उपयोगिता प्रमाण पत्र इस विभाग को शीघ्रातिशीघ्र एवं अचूक रूप से दिनांक 15.03.2018 तक अवश्य भेज दिया जाय।**

8. पूर्व आवंटित राशि, जिसकी निकासी अग्रिम तौर पर की गई है, यदि पूर्णत: व्यय नही हो पाय, तो 15.03.2018 तक उसे कोषागार में जमा करा दिया जाय।

9. आवंटित राशि की निकासी से संबंधित विपत्र पर मुख्य बजट शीर्ष/ उप मुख्य शीर्ष- लघु शीर्ष/ उपशीर्ष तथा विपत्र कोड का उल्लेख स्पष्ट रूप से की जाय। विपत्र पर सही शीर्ष/ उपशीर्ष का मुहर लगाया जाय अन्यथा आंकड़े के त्रुटिपूर्ण वर्गीकरण की सारी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

10. इस राशि का व्यय वित्त विभागीय ज्ञापांक 2561/वि0(2) दिनांक–17.04.98 के आलोक में की जाय। व्यय की गई राशि का महालेखाकार कार्यालय से नियमित रूप से मिलान कराया जाय।

11. यदि उपरोक्त आवंटित राशि का व्यय इस वित्तीय वर्ष में नहीं हो सके, तो अवशेष राशि का प्रत्यर्पण दिनांक 15.03.2018 तक निश्चित रूप से कर दें अन्यथा इसके लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी ही जिम्मेवार होंगे। राशि की निकासी कर बैंक खाते में नहीं रखी जाय।

12. इस आवंटन आदेश के प्राप्ति के पश्चात पत्र की एक प्रति पर "आवंटन प्राप्त हुआ", यह सम्पुष्टि उल्लिखित करते हुए तुरंत रिटर्न फैक्स से विभाग को सूचित किया जाय।

13. इस आवंटन की सूचना महालेखाकार, बिहार, पटना, वित्त (बजट) को भी दी जा रही है। इसकी प्रतिलिपि संबंधित कोषागार पदाधिकारी को दी जा रही है।

14. मासिक व्यय प्रतिवेदन प्रत्येक माह की 7वीं तारीख तक अनिवार्य रूप से भेजना सुनिश्चित किया जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

(हस्ताक्षर) 18/17

अपर सचिव

ज्ञापांक–........56 (मा0)......................./आ0प्र0, पटना–15, दिनांक– 1/8/17

प्रतिलिपि: महालेखाकार, बिहार, पटना/ वित्त विभाग (बजट) पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

अपर सचिव

ज्ञापांक–..........56 (मा0)................../आ0प्र0, पटना–15, दिनांक– 1/8/17

प्रतिलिपि: संबंधित जिला कोषागार पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ तथा आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अपर सचिव

ज्ञापांक–..........56 (मा0)................../आ0प्र0, पटना–15, दिनांक– 1/8/17

प्रतिलिपि: संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त, बिहार को सूचनार्थ तथा आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अपर सचिव

ज्ञापांक –..........56 (मा0)..../आ0प्र0, पटना–15, दिनांक– 1/8/17

प्रतिलिपि: माननीय मंत्री, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

अपर सचिव

ज्ञापांक–..............56 (मा0)......./आ0प्र0, पटना–15, दिनांक– 1/8/17

प्रतिलिपि: विभागीय प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव/ विशेष कार्य पदाधिकारी (बजट)/सांख्यिकी पदाधिकारी/प्रशाखा पदाधिकारी (बजट)/ कार्यवाह सहायक/ आई0टी0 मैनेजर/प्रभारी, राज्य आपातकालीन संचालन केन्द्र को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अपर सचिव